राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2016

अधिसूचना सं. एनएचबी.एचएफसी.एनसीडी–निर्देश.3/एमडीएंडसीईओ/2016 – राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमन हेतु आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2014, तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यथा :–

1. अनुच्छेद 5 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमन हेतु आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 5 में उप–अनुच्छेद (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :–

''(2) आवास वित्त कंपनियों के पास वित्तीय दायित्वों के समय पर शोधन के संबंध में सामान्य श्रेणी की सुरक्षा की न्यूनतम ऋण पात्रता रेटिंग होनी चाहिए।''

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी